

25-04-2026

अपीलार्थी/वादीगण क०-1 उर्मिला, क०-5 उमाशंकर एवं क०-7 गोपाल साहू एवं शेष द्वारा श्री उपेन्द्र तिवारी अधिवक्ता उपस्थित।

उत्तरार्थी/प्रत्यर्थीगण क०-1 व 2 सहित श्री मुकेश शुक्ला अधिवक्ता उपस्थित।

उत्तरार्थी क०-3 द्वारा श्री संतोष सोनी अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण आई.ए.नं.-2/26 पर आदेश हेतु नियत है।

इस आदेश के द्वारा उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित समझौता आवेदन आदेश 23 नियम 3

व्य०प्र०सं० आई.ए.नं.-2/26 दिनांक 26.03.2026 का निराकरण किया जा रहा है।

उभयपक्षों का संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन यह है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में उभयपक्षों के मध्य न्यायालय के बाहर समझौता हो चुका है, जिससे उभयपक्ष अपील को राजीनामे के आधार पर निराकृत कराना चाहते हैं। वादी/अपीलार्थी की ओर से राजस्व भूमि स्थित ग्राम सकोला खसरा नंबर-2006/2920 रकवा 0.58एकड़ (0.235हे०) भूमि को सहस्वामित्व की भूमि होने की घोषणा की सहायता चाही है, इस वादग्रस्त भूमि के अंतर्गत वादी/अपीलार्थी का रहवासी मकान बने हुए हैं, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी गोपाल साहू, उर्मिला साहू का मकान क्रमशः 4000-4000 वर्ग फीट तथा शंकर साहू एवं उमाशंकर के भवन 2000-2000 वर्ग फीट बने हैं, इस प्रकार उक्त चारों व्यक्तियों का कुल 12000 वर्ग फीट भूमि पर आधिपत्य बना हुआ है।

इस सिविल अपील के लंबित रहने की अवधि के दौरान आपसी सामंजस्य की कार्यवाही हेतु प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण द्वारा यह सुझाव दिया गया कि वादग्रस्त भूमि बगीचा भूमि थी, जिस पर वादी ने मकान बनाकर कब्जा किया है, इस कारण वादी/अपीलार्थीगण काबिज भूमि के रकवे के एवज में स्वयं के खाते की भूमि को बगीचे बावत् प्रदान कर देते हैं, तो उभयपक्षों के मध्य समझौता संभव है। इस पर अपीलार्थीगण ने सहमति प्रकट की है और उभयपक्षों ने समझौता आवेदन प्रस्तुत किया है।

अपीलार्थीगण के स्वामित्व व कब्जे की भूमि ग्राम पकरिया खसरा नंबर-102/3, 102/1 एवं 78/2 हैं, उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर- 102/3 में से 4000 वर्ग फीट भूमि खसरा नंबर-102/1 में से 4000 वर्ग फीट भूमि और 78/2 में से 4000 वर्ग फीट भूमि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण के पक्ष में सार्वजनिक प्रयोजन बगीचे बावत् प्रदान किया जा रहा है, इस प्रकार कुल 12000 वर्ग फीट की भूमि उपरोक्त खसरा नंबर की भूमियां में से कटौती कर प्रत्यर्थीगण को दी जा रही है।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रदान की जा रही भूमियों के रकवे 12000 वर्ग फीट को सार्वजनिक प्रयोजन बगीचा निर्माण कार्य के लिए सुरक्षित रखा जावेगा, उक्त रकवे की भूमि पर प्रत्यर्थीगण अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आवास निर्माण कार्य या बगीचे के अतिरिक्त अन्य बावत् उपयोग-उपभोग नहीं करेंगे अर्थात् समझौता भूमि पर पेंड-पौधा लगाकर बगीचा बनाया जायेगा, जिसका

उपयोग—उपभोग उभयपक्ष व सार्वजनिक रूप से किया जा सकेगा।

वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर—2006/2920 के अंश रकवा भूमि कुल 12000 वर्ग फीट पर अपीलार्थी/वादीगण उर्मिला, गोपाल का मकान क्रमशः 4000—4000 वर्ग फीट एवं शंकर एवं उमाशंकर साहू का मकान क्रमशः 2000—2000 वर्ग फीट अंतर्गत बना हुआ है, जिस पर वे परिवार सहित निवासरत हैं, इस कारण न्यायालय में हुए समझौते के परिप्रेक्ष्य में वादी/अपीलार्थीगण 12000 वर्ग फीट पर काबिज रहेंगे उससे आगे कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे एवं उनके द्वारा इस समझौते अनुसार बगीचे हेतु दी जा रही भूमि 12000 वर्ग फीट पर वे सुरक्षा, पानी व्यवस्था एवं निगरानी हेतु कार्य कर सकेंगे।

उभयपक्षों ने प्रार्थना की है कि पक्षकारों के मध्य न्यायालय के बाहर हुए प्रस्तुत समझौते के आधार पर इस अपील का निराकरण कर दिया जावे।

अपीलार्थीगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा तथा प्रत्यर्थीगण की पहचान अधिवक्ता श्री मुकेश शुक्ला द्वारा की गई है, संयुक्त हस्ताक्षरित शर्तों के सत्यापनार्थ अपीलार्थी गोपाल साहू वा0सा0—1, उमाशंकर वा0सा0—2, उर्मिला साहू वा0सा0—3 एवं प्रत्यर्थी रामखेलावन साहू प्र0सा0—1, अरुण कुमार साहू प्र0सा0—2 के समझौता कथन लेख किये गये हैं, उभयपक्षों ने अपने समझौता कथनों में स्वेच्छया, स्वतंत्र, सहमति समझौता होना व्यक्त किया है तथा समझौते अनुसार अपील का निराकरण किये जाने की प्रार्थना की है।

स्वीकृत तौर पर वादीगण द्वारा ग्राम सकोला पटवारी हल्का सकोला राजस्व निरीक्षक मंडल कोतमा, तहसील

कोतमा, जिला अनूपपुर म0प्र0 में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर-2006/2920 रकवा 0.58एकड़(0.235हे0) की वादग्रस्त भूमि का वादीगणों को सहभूमिस्वामी घोषित करने एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया था, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 31.03.2023 पारित करने हुए वादीगण के दावे को प्रार्थित अनुतोष के संबंध में पूर्णतः खारिज किया है।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा विचाराधीन अपील प्रस्तुत की है तथा न्यायालय के बाहर समझौता आवेदन प्र0पी0-ए1 में वर्णित अनुसार समझौता होना बताकर अपील का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित समझौता जहाँ स्वतंत्र सहमति से है, उससे किसी विधि का उल्लंघन होना परिलक्षित नहीं है, समझौता लोकनीति के विरुद्ध नहीं है तथा विवाद के अंतिम समाधान को भी इंगित करता है।

परिणामतः उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत समझौता आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 आई.ए.नं. -2/26(प्र0पी0-ए1) दिनांक 26.03.2026 उचित होने से स्वीकार किया जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 31.03.2023 अपास्त करते हुए उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत न्यायालय के बाहर हुए उक्त समझौते के आलोक में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 28.03.2026 खारिज की जाती है।

इस आदेश की एक प्रति सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज हो।

प्रकरण विधिवत् अभिलेखागार भेजा जावे।

गंगाचरण दुबे

प्रथम जिला न्यायाधीश

कोतमा, जिला अनूपपुर म0प्र0